

(ख) स्पष्टीकरण में, खंड (iv) के बाद निम्नलिखित खंड अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(v) वाक्य “सरकारी निकाय” से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय जिसमें सोसायटी, ट्रस्ट निगम भी आते हैं, जोकि;

(क) संसद या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम

(ख) किसी सरकार द्वारा किया गया

और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90 प्रतिशत या इससे अधिक की भागीदारी हो और जिसका काम केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना है।”

(ग) अनुबंध I में, (ख) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“बशर्ते कि, यदि ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही किए जाने के लिए दावा या प्रवर्तनीय अधिकार रखने वाला व्यक्ति और यूनिट कंटेनरों में ऐसे माल को पैक करने वाले दो अलग-अलग व्यक्ति है तो वह व्यक्ति जो कि ब्राण्ड नेम पर दावा कर सकता है या जिसका प्रवर्तनीय अधिकार है ऐसे माल की पैकिंग करने वाले व्यक्ति के क्षेत्राधिकार वाले केंद्रीय कर आयुक्त या क्षेत्राधिकार वाले राज्य कर आयुक्त के पास इस आशय का शपथ पत्र जमा करेगा की वह स्पष्टीकरण (ii)(क) में यथा परिभाषित ऐसे ब्राण्ड नेम पर अपने कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग करता है; और उसने उस व्यक्ति [जो कि ऐसे यूनिट कंटेनरों में ऐसे ब्राण्ड नेम वाले माल की पैकिंग करता है] को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वह ऐसे यूनिट कंटेनरों पर अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में तथा न मिटने वाली स्याही से यह मूद्रित कर सकेगा कि ऐसे ब्राण्ड नेम पर वह [जिसके पास ब्राण्ड नेम का अधिकार होगा] ऐसे ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है।”

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू (भाग. III)]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 667(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 28/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 22 सितंबर, 2017, जिसे सा.का.नि 1193(अ), दिनांक 22 सितंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

No. 36/2017- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 1289(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Goods and Services Tax Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(A) in the Schedule,-

(i) after S. No. 122 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“122A	4907	Duty Credit Scrips”;
-------	------	----------------------

(ii) after S. No. 149 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“150	-	Supply of goods by a Government entity to Central Government, State Government, Union territory, local authority or any person specified by Central Government, State Government, Union territory or local authority, against consideration received from Central Government, State Government, Union territory or local authority in the form of grants”;
------	---	--

(B) in the *Explanation*, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:-

“(v) The phrase “Government Entity” shall mean an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation, which is:

- (a) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or
- (b) established by any Government,

with 90 per cent or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State government, Union territory or a local authority.”.

(C) in ANNEXURE I, after point (b), the following proviso shall be inserted

“Provided that, if the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name and the person undertaking packing of such goods in unit containers are two different persons, then the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name shall file an affidavit to that effect with the jurisdictional Commissioner of Central tax or jurisdictional Commissioner of State tax, of the person undertaking packing of such goods that he is voluntarily foregoing his actionable claim or enforceable right on such brand name as defined in Explanation (ii)(a); and he has authorised the person [undertaking packing of such goods in unit containers bearing said brand name] to print on such unit containers in indelible ink, both in English and the local language, that in respect of such brand name he [the person owning the brand name] is voluntarily foregoing the actionable claim or enforceable right voluntarily on such brand name.”

[F. No. 354/117/2017-TRU (Pt. III)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification No. 2/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by Notification No. 28/2017-Integrated Tax (Rate) dated 22nd September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1193(E), dated the 22nd September, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

सं. 37/2017-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1290(अ).—एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 4/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का.नि. 669(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

- (i) क्रम संख्या 5 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-